कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

सोमवार, 01 पौष, शक संवत् 1947

(22 दिसम्बर, 2025 ई0)

खण्ड-530

अंक-02

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता विरोधी दल ने कोडिन सिरप से हुई मौतों का प्रकरण उठाते हुए सदन में सर्वप्रथम इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष द्वारा प्रश्नगत विषय पर नियम-56 के अन्दर नोटिस प्राप्त हुई है, जिसे ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु स्वीकार किया गया है। अभी प्रश्नकाल होने दें।

इस पर समाजवादी पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन की वेल में आ गए, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि कोडिन सिरप से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। नियम-56 में स्वीकृत प्रश्नगत विषय पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।

इस पर श्री अध्यक्ष ने प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण बताते हुए सदन के वेल में उपस्थित विपक्ष के सदस्यों से अपने आसन पर वापस जाने का अनुरोध किया।

इस पर समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये।

तदुपरान्त प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के प्रश्न संख्या-04 के अनुपूरक उत्तर से असन्तुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मा0 मुख्य मंत्री द्वारा किसी का नाम नहीं लिया गया। सीरप से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई। दोषियों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 मुख्य मंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया है। आप सब अपने आसन पर चलें।

इस पर मा0 मुख्य मंत्री के उत्तर भाषण में प्रयुक्त कतिपय शब्दों के विरोध में नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने कार्य सूची के अगले प्रश्नों पर अनुपूरक के लिए सम्बन्धित सदस्यों को आमंत्रित करने पर भी किसी सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री राकेश सचान) को आज उनके जन्म दिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी गयी।

आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 69 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

क्रम-सं0	नाम	विषय
1	श्री स्वामी ओउ्मवेश	उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ में कर्मचारियों के आन्तरिक पटल परिवर्तन के नियमों का पालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2	ई0 सचिन यादव उर्फ जखई	प्रदेश के सभी तहसीलों में किसानों की खसरा खतौनी की गलत फीडिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री मनोज कुमार प्रजापति	जनपद हमीरपुर के गांधी नगर मोहल्ले में 11000 विद्युत लाइन शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में।
4	डॉ0 रागिनी	जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा मडैया भुभुआर मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।
5	डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा	उत्तर प्रदेश में निवासरत् विमुक्त जनजातियों को बिना क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के सभी जनपदों में विमुक्त जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री मनीष रावत	जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत रिंग रोड का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	जनपद सन्तकबीरनगर के मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय जनहित कार्यों में शिलापट्ट न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	नाम	विषय
8	श्रीमती सरोज कुरील	जनपद कानपुर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नोन नदी पर रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्रीमती पूनम संखवार	जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत कतिपय सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
10	श्रीमती रेखा वर्मा	जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधुना के अन्तर्गत विलराया-पनवाड़ी राजमार्ग से सबलपुर पुलिया तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
11	श्री रविदास मेहरोत्रा	जनपद लखनऊ में क्रय की गयी भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण से मुक्त करने तथा मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर में दबंगों द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में।
13	श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'	जनपद कानपुर नगर की छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों पर बने नालों को खुला छोड़ दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
14	श्री नफीस अहमद	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के बिलरियागंज बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री अतुल प्रधान	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के अन्तर्गत सड़क नव निर्माण के सम्बन्ध में।
16	डॉ0 पल्लवी पटेल	आल इण्डिया रजिस्टर्ड नर्सेज फेडरेशन को काउन्सिल में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री मो0 ताहिर खान	जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नाबार्ड योजना का पैसा लोक निर्माण विभाग द्वारा रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
18	श्री नन्द किशोर गुर्जर	जनपद गाजियाबाद के लोनी में जर्जर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
19	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के रुदौली में कतिपय स्थान पर सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	नाम	विषय
20	श्री संजीव अग्रवाल	जनपद बरेली में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण एवं अण्डरपास के निर्माण के सम्बन्ध में।
21	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर ख़ास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरे जोधा की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।
22	श्री अजय सिंह	जनपद गोण्डा में कतिपय फर्म द्वारा भर्ती के नाम पर अवैध पैसे वसूले जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
24	श्री शलभ मणि त्रिपाठी	जनपद देवरिया में परिवहन विभाग द्वारा बस अड्डे पर सुविधा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	जनपद फतेहपुर के जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
26	डा0 राजेश्वर सिंह	जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री मनोज कुमार पारस	जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भनेडा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की 03 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य हुईं।

श्री अध्यक्ष ने आज की कार्य-सूची की मद संख्या-02, जो वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुदानों की मांग के सम्बन्ध में है, अपराह्न 12:20 पर प्रस्तावित को 02 मिनट पूर्व लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-2026 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत किया।

नेता विरोधी दल द्वारा अनुपूरक अनुदान की प्रतियों के विषय में जानकारी मांगने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रतियाँ आनलाइन उपलब्ध हैं।

तदुपरान्त वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

औद्योगिक विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

श्रम मंत्री ने उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय-7 'शिकायत निवारण तंत्र' की उपधारा-16 (6) (च) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1701/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-286-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (350)- 2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1703/ग्यारह-2-25-9 (47) 17 टी0सी0-288-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (351)- 2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1706/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-291-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (352)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1707/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-292-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (353)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1708/ग्यारह-2-25- 9(47)-17-टी0सी0-293-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (354)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1709/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-294-उ0प्र0अधि0-1-2017 आदेश (355)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1711/ग्यारह-2-25-9 (42)-17-टी0सी0-74-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (356)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1705/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-290-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (357)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1710/ग्यारह-2-25- 9(47)-17-टी0सी0-295-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (358)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1702/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-287-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (359)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1700/ ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-285-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (360)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1704/ ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-289-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (361)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1699/ ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-284-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (362)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1771/ ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-297-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (363)-2025, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1770/ ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-298-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (364)-2025, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1769/ ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-296-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (365)-2025, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1837/ ग्यारह-2-25-9 (42)-17-टी0सी0-75-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (367)-2025, दिनांक 26 नवम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने वित्त परीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (भाग-1 से भाग-6 तक) को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा

क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने संसदीय कार्य अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (सोलहवाँ संस्करण) के निदेश संख्या-14 (3) के अनुसार अट्ठारहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2025 (दिनांक 11 अगस्त, 2025 से 14 अगस्त, 2025 तक) में नियम-301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 द्वारा यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वशवर्ती और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र) विनियमावलियां, 2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया कि–

(1) निम्नलिखित विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को पारित किये गये थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2025 को वापस प्राप्त हो गये :-

(i) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

(ii) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

(iii) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025

(iv) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025

(v) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

(vi) उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025

(2) निम्नलिखित विधेयक, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत् चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पारित किये गये थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 14 अगस्त, 2025 को वापस प्राप्त हो गये :-

(i) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025

(ii) उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास विधेयक, 2025

(iii) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि-

(1) उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत् चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

(2) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का पाँचवाँ अधिनियम बन गया।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत् चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का छठवाँ अधिनियम बन गया।

(4) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का सातवाँ अधिनियम बन गया।

(5) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का आठवाँ अधिनियम बन गया।

(6) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का नवाँ अधिनियम बन गया।

(7) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का दसवाँ अधिनियम बन गया।

(8) उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवाँ अधिनियम बन गया।

(9) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत् चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 अगस्त, 2025 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का बारहवाँ अधिनियम बन गया।

(10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत् चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 14 अगस्त, 2025 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का तेरहवाँ अधिनियम बन गया।

(11) कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 2024 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01 अगस्त, 2024 की बैठक में पारित किया था, पर श्री राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2025 का उत्तर प्रदेश का चौदहवाँ अधिनियम बन गया।

श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमेठी के विकास खण्ड जगदीशपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मलावां मजरे गढ़ा में नटडेरा से गयादीन पासी के घर तक इण्टरलॉकिंग (400 मी0 लगभग) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहब बक्श सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री किरत सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड रामपुर के ग्राम गुडम्ब के पास कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

डा0 वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम दनौतिया से रहीमपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेश पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड एका नगला नेकराम से नगला हर्जू फरेदा मार्ग पर अरिन्द नदी पर लघु सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्वेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर देहात के गागलहेड़ी टोल व हरोड़ा टोल के आस-पास की परिधि में निवास करने वाले स्थानीय निवासियों के निजी वाहनों को नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार टोल टैक्स से छूट प्रदान करने हेतु समुचित आदेश निर्गत करने के सम्बन्ध में श्री हैदर व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत उरई नगर पालिका में मलगां नाले का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशांत अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बरेली की तहसील बरेली सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड भोजीपुरा के ग्राम रमपुरा माफी मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ताहिर खान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम उदारा डामर मार्ग से भरतापुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र-226, ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत मण्डी परिषद् के कई वर्षों से जर्जर पड़े समस्त मार्गों को लोक निर्माण विभाग हस्तान्तरण कराते हुए पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मूल चन्द्र सिंह निरंजन, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत रेंढर सदपुरा मार्ग से नावली माता मन्दिर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड सदर के गाजीपुर चोकरपुर मार्ग से आदर्श बाजार में मुन्ना के घर से होते हुए लगभग 700 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र दुबे व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के समेदा-राजभर बस्ती से नहर होते हुये शाहगढ़ समेदा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचरन राम व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के बारा विधान सभा क्षेत्र में जसरा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बसहरा तरहार में एवं विकास खण्ड शंकरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जूही में विद्युत उप-केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के कैम्पियरगंज के थाना क्षेत्र के करमैनीघाट पुलिस चौकी में तैनात तत्कालीन चौकी प्रभारी भूपेन्द्र तिवारी के द्वारा की गई धन उगाही व भ्रष्टाचार की जांच कर उचित कार्रवाई करे जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के न्यू शुभम सिटी कालोनी पण्डित खेड़ा में स्थित माँ गायत्री धाम से होते हुए हनुमान जी के मन्दिर के पास वाली रोड तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के

सम्बन्ध में श्रीमती जानकी पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र बाँगरमऊ क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भड़सर नौशहरा के मजरा ऊधम खेड़ा व ग्राम पंचायत शाहपुर खुर्द के मध्य कल्याणी नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामरतन पाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के अन्तर्गत संस्कृति विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-2026 की कार्य योजना में सम्मिलित गोण्डा की तहसील तरबगंज में स्थित सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल महाराज परमहंस बरियाडीह के रामलीला मैदान का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के ब्लाक कैसरगंज के अन्तर्गत ग्राम इटहुआ के ग्राम नकौड़ी शाहपुर के गौशाला में चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामखिलाड़ी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल के गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रजपुरा चन्दूनगला से पंचायत घर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद संभल की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड प्रतापपुर के नासिर पट्टी में चौरा देवी मन्दिर से भारत लाल यादव के घर तक आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत लाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 वीरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर विकास खण्ड सदर ग्राम सभा आरीपुर पिच रोड से हनुमान जी के मन्दिर होते हुए राम विलास के घर तक आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हेसलाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री नन्द किशोर गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड मियागंज के ग्राम पंचायत चम्पतपुर के मजरा ओगरापुर व वीरमपुर व कतिपय ग्रामों में ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलखान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सीवर की समस्या के निवारण हेतु नई सीवर लाईन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुम्तियाज सिद्दीकी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड महाराजगंज के अन्तर्गत ग्राम बाबूगंज में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी विकास खण्ड सिराथू के रमसहायपुर से भैरमपुर तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्वनी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम मसेना मिर्जापुर में डॉ0 सी0के0 चौधरी के घर के उत्तर से सभाजीत पाल के खेत तक मार्ग (लगभग 250 मी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया प्रसाद यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम मुहम्मद इब्राहिमपुर समेत कतिपय ग्रामों लिपिकीय शुद्धीकरण उपरान्त शत-प्रतिशत का वितरण कराने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद सुबहान व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आजमपुर में प्रधानमंत्री सड़क से प्रकाश के घर होते हुए हरीश के घर के पास 1500 मी0 क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नयन यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बृजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज विधान सभा क्षेत्र मोहान, ब्लाक व नगर पंचायत औरास के अन्तर्गत समदपुर हरदास से ठकवा जगदीशपुर व आदमपुर बरेठी से शेखपुर बुजुर्ग सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के

सम्बन्ध में श्री शिवम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद एटा की तहसील अलीगंज में मण्डी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच के तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा में पालीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पोरवाल उर्फ भुटानी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधोपुर द्वितीय के बरौरा में हैदरगंज पुलिया से लेकर मेवालाल गौतम के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चाँद बाबू व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत कस्बा किरतपुर में ओल्ड एन0 एच0-119 पर श्री मो0 असलम के खेत खसरा नं0-302 से मंडावर रोड तक बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 असलम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

ई0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में मनिगांव मार्ग से बल्लमपुर तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री सवित व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत सरजू नदी के कटान से बचाये जाने हेतु कटान रोधी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रताप यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत छावनी विधान सभा क्षेत्र के जोन-2 वार्ड-99 सुजातगंज चंदारी में डीपी स्कूल से शिव मन्दिर तक सड़क एवं साइड पटरी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 नफीस व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर के अन्तर्गत लाटरा शिव मन्दिर से धनौरा मार्ग को जोड़ने

वाले सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड बढ़पुर में स्थित ग्राम सभा हाथीपुर के मजरा नटनगला में नाले निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतीक खान व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम मूर्ति वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के ब्लाक बसखारी के ग्राम रामडीह सराय (गढ़ा) में एन0एच0-233 के बगल वीरेन्द्र निषाद के खेत से होते हुए तालाब के पास स्थित नाले पर पुल एवं रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज में गेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेन्ट शुरू किये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह निवासी जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राहुल राजपूत ''राहुल लोधी'', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा टांडा में बारात घर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के बरसठी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से ग्राम सभा आदमपुर होते हुए ग्राम सभा कटवार (निगोह-गोधना सम्पर्क मार्ग) तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील एवं विकास खण्ड बीकापुर के ग्राम पंचायत शेरपुर में बैजनाथ प्रसाद जायसवाल के घर से काली माता के चौरा तक 100 मी0 नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ प्रसाद जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा कतिपय ग्रामों की अनुसूचित जाति बस्तियों में सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के अन्तर्गत ग्राम घोरिया अस्सा माडी मार्ग से रहातवी इण्टर कॉलेज मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक-सिकन्दराबाद के अन्तर्गत फौलादपुर से भैसोली तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के ग्राम सभा बसडिला से ग्राम सभा बोडीया अनंत होते हुए ग्राम सभा औराचौरी रेलवे ढाला तक लगभग 4 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश सिंह सैंथवार व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री समर पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात के अन्तर्गत ग्राम सिछाली जहॉगीर में बड़ी चौपाल के पास गांव स्थित तालाब की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री असलम खान व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत तहसील ठाकुरद्वारा के अन्तर्गत ग्राम वजीदपुर के भट्ठे से लेकर गुलड़िया माफी तक 1.5 किमी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 नजाकत अली व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 आर0के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत रानीगंज विधान सभा क्षेत्र के सुवंसा मेडुवाडीह मार्ग (ओ0डी0आर0) एवं लक्षीपुर दिलीपुर ताला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 सलीम व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम नागर में बच्चू सिंह प्रधान जी के घर से श्मशान तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बच्चू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के अन्तर्गत बहादुरपुरकारी दलित बस्ती में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जुगुल यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हना ग्राम सभा सिंहपुर सरैया (पिलौटा) बेसो नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र 241-अयाहशाह के अन्तर्गत कस्बागाजीपुर ब्लाक बहुआ को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह परमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत गुजैनी स्केप की पुनर्स्थापना एवं किलोमीटर 1200 पर कलवर्ट निर्माण की वित्तीय स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत ब्लाक मसौली में ग्राम बांसा में सड़क का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कामिल अली व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर में कुंदनगढ़ पुल से जंगली पुल तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सैनी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत बालपुर परसपुर पसका मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गुड़िया कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया की तहसील औरैया के अन्तर्गत ग्राम बीझलपुर में यमुना नदी पर सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरपाल ठाकुर व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा विकास खण्ड गंगेश्वरी के ग्राम पंचायत आदमपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री के0पी0 सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत ग्राम सभाडीहा में पेयजल योजना में स्थापित पानी की टंकी से हर घर जल

की सप्लाई सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजमणि कोल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के टुड़ियार के सेवरी नदी की पुलिया का मरम्मतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दकुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के अन्तर्गत वाराणसी जिले से सटा हुआ त्रिलोचन महादेव औद्योगिक विकास क्षेत्र (टीडा) में बन्द पड़ी फैक्ट्रीयों को चलाने तथा क्षेत्र के विकास हेतु सरकारी पैकेज दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के मकरंदपुर कहिंझरी में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल तोमर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के विकास खण्ड के अन्तर्गत बिसवां सिधौली मार्ग-नहर पुलिया राजाडीह से रूकनापुर मण्डी मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशोर व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत स्थित अकबरपुर दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग से राजबहादुर खेत से उत्तर माध्यमिक विद्यालय चनवाबदलपुर तक सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आनन्द कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत जरवल रोड से रेवड़ा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड खजुहा अमौली, देवमई को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर 248 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330 पर न्यूनतम 12 सूट का सर्किट हाउस बनाये जाने

के सम्बन्ध में श्री राहुल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभुनरायन सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के बीबीखेड़ा आवास विकास के पास हैमिल्टन एकेडमी स्कूल के बगल से पीछे जाने वाली 110 मी0 कच्ची सड़क को इण्टरलॉकिंग या आर0सी0सी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती के सदर ब्लाक ग्राम गिदही खुर्द के गुड्डू फार्म से लेकर फूल चन्द के मकान तक खड़न्जा मार्ग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अपलू व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के जखनियां में कतिपय बाजारों में सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास राय व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायाँ विकास क्षेत्र-सिंधौली के ग्राम सहोरा में चकबन्दी प्रक्रिया कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसरन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर के ग्राम रहटा में सरकारी कुएं से दौलतपुर सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नफीस व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में कतिपय सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत पिपरिहा जमुनी मोथिवाडीहे सम्पर्क मार्ग से भैसहवा सम्पर्क मार्ग, भदुई कन्हई डीह सम्पर्क मार्ग, जड़ीकुईया गनेशपुर सम्पर्क मार्ग से सिसहनिया सम्पर्क मार्ग तक (नगर पंचायत पचपड़वा) निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अनुज निषाद व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हरैया, विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड गौर के ग्राम मुसहा बेलघाट मार्ग पर राम चन्दर मिश्रा के मशीन से माध्यमिक विद्यालय होते हुए शमशान घाट तक मार्ग निर्माण कराये जाने के

सम्बन्ध में श्री अजीत चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विपणन वर्ष 2025-2026 में खरीफ की फसल में भूमि का रकबा स्वतः कम्प्यूटर द्वारा आधा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धरसवा में बलरामपुर रोड से गोण्डा रोड साहू भट्ठा तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप नारायण निवासी जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम पंचायत केशवनगर ग्रन्ट व कतिपय ग्राम पंचायत में 33/11 विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य कुंवर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज-306, के अन्तर्गत धोबहा चौराहे से कुनगाई मार्ग जोउसतावर जोत से होलियापुर तक 01 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोतीबुल व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के तहसील व विकास खण्ड सहावर के अन्तर्गत रानी अवन्तीबाई नगर की गलियों में सी0सी0 या इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में सी0एच0सी0 सैया में एक्स-रे व अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रभानु पासवान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत कालीगंज, परसौली गांव में मड़हा के उस पार किसानों को खेती करने/आने-जाने हेतु पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कौशल व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर में स्थित कल्याणपुर-शिवराजपुर-शिवली मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 डा0 गयाप्रसाद कटियार के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्वेन्द्र उर्फ शिम्पू कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद महोबा के विकास खण्ड पनवाड़ी के ग्राम गढ़ौरा में पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री ब्रजपाल राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड कुन्दरकी एवं विकास खण्ड मूण्डा पाण्डेय के मध्य गागन नदी पर पुल एवं एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत टिकटगाढ में नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एक्स-रे मशीन, डेन्टल यूनिट, सी0आर0 मशीन तथा पैथोलॉजी लैब की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पाचू यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमला कान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के ब्लाक मोहम्मदपुर में गोसड़ी राजभर बस्ती से नन्दाव लालपुर पोखरा तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा, श्री राकेश पटेल, अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश मिश्रा निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र-387, रोहनियां के अन्तर्गत जल निकासी एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनेश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मडियाहूं में विकास खण्ड रामपुर के अन्तर्गत भरसथ बसीरपुर मार्ग महेवा से दया शंकर पटेल के घर से बसीरपुर पंचायत भवन पिच रोड तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत नवेली पावर प्लाण्ट के आस-पास सरकारी खाली पड़ी जमीन पर नया एक विद्युत पारेषण केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत मस्वासी बिजलीघर के सामने से खुशालपुर के मोड़ तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 अहमद व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया की विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत ग्राम सुरजपुर से मल्हौसी तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भुरेसिंह व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम जिगिना चौराहा से फरसाडाड पुल होते हुए मदनपुरा से अन्तपुर पुल तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में भिनगा तहसील से बगीवगी परसाडेहरिया लक्ष्मनपुर बैराज कानीबोझी तक रोड का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमोहन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के ग्राम जैतपुरा, पोस्ट चन्द्रपुर में श्री ध्रुव कुमार दुबे के मकान से श्री श्याम दयाल चौबे के मन्दिर होते हुए श्री शेर सिंह के मकान तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री धीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर में वर्ष 2013 में अधिग्रहीत भूमि के एवज में मिलने वाले आबादी भू-खण्ड न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 की बैठक में विधान सभा के दिनांक

19 दिसम्बर, 2025 से दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

1-दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को ''भारत के राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष'' पूर्ण होने पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर 4 घण्टे की चर्चा।

2-दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को भूतपूर्व मा0 सदस्यों के निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जाएं।

दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 से दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>दिसम्बर, 2025</u>

19 शुक्रवार	निधन के निर्देश।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार	1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों। 2-**<u>12:20 बजे अपराह्न</u>** वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण। 3-विधायी कार्य।
23 मंगलवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं। 2-विधायी कार्य। 3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।
24 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 2-विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

नगर विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

नगर विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

श्रम मंत्री ने उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

श्रम मंत्री ने उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

आज दिनांक 22-12-2025 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

स्मार्ट मीटर प्रणाली की गम्भीर कमियां, विद्युत क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया तथा इससे उत्पन्न जन आक्रोश विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूर के लिए प्रीपेड मीटर व्यवस्था अव्यवहारिक है। स्मार्ट मीटर से नवीन प्रीपेड स्मार्ट मीटर परिवर्तन का व्यय भार अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर ही पड़ेगा। विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पूर्णता के अभाव में उपभोक्ताओं को बिना सूचना बिजली कटौती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सरकार द्वारा विद्युत विभाग का निजीकरण की तैयारी किया जाना प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसका सीधा असर किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदारों और व्यवसाइयों पर पड़ेगा। उन्होंने विषय को लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग की। ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, श्री कमाल अख्तर एवं श्री मौहम्मद फहीम इरफान ने इस पर बल दिया।

इसी मध्य 01 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मन्जू शिवाच पीठासीन हुईं।

इस पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि यूपी में महंगी बिजली का दावा गलत है। 6 वर्षों से बिजली की दरें वैश्विक महंगाई के बावजूद अपरिवर्तित रही हैं। उ0प्र0 देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाले राज्यों में है। बिजली के बिल के ब्याज स्वरूप सरचार्ज की शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

दिनांक 18-10-2025 को जनपद सोनभद्र में प्रतिबन्धित कोडिन युक्त कफ सीरप की अत्यधिक मात्रा में प्राप्त बोतलों से वर्तमान में उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए डॉ0 आर0 के0 वर्मा ने कहा कि 2022 से चली आ रही कोडीन कफ सीरप की तस्करी में विकास सिंह व शुभम जायसवाल सहित 225 आरोपी शामिल हैं। 2022 में एफएसडीए ने 50 से अधिक जिलों में छापेमारी की, किन्तु जांच रुक गई। अभी तक आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी। उन्होंने आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की तथा विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग की। श्री रविदास मेहरोत्रा एवं श्री लकी यादव द्वारा इस पर बल दिया गया।

इस पर शासन का पक्ष रखते हुए मा0 मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोडिन युक्त कफ सीरप के अवैध डायवर्जन व अवैध स्टोरेज और रिकार्ड मेन्टेन न करने को लेकर एन0डी0पी0एस0 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। इस मामले में प्रदेश में कोई भी मौत नहीं हुई है। अवैध डायवर्जन का मामला है। 77 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आई0जी0, लॉ एण्ड आर्डर की अध्यक्षता में एस0आई0टी0 गठित की गयी है। निरन्तर कार्रवाई चल रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने में सरकार कोई संकोच नहीं करेगी।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि भारत के राष्ट्रीय-गीत 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के सम्बन्ध में आज नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रस्तावित चर्चा 07:00 बजे तक होगी। श्री कमाल अख्तर के अनुरोध पर प्रश्नगत चर्चा को रात्रि 08:00 बजे तक कराने हेतु सहमति व्यक्त की गयी। श्री अध्यक्ष ने मा0 मुख्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री को ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने ''भारत के राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने'' के सम्बन्ध में नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि दिनांक 07 नवम्बर, 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिमचन्द्र चटर्जी ने 'वन्दे मातरम्' गीत की रचना की थी। वर्ष 2025 में भारत के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह गीत पहली बार साहित्यिक पत्रिका 'बंगदर्शन' में उनके उपन्यास 'आनंदमठ' के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। समय के साथ, 'वन्दे मातरम्' स्वतंत्रता सेनानियों के लिये एक आध्यात्मिक शक्ति, मातृभूमि के प्रति समर्पण और विदेशी शक्ति के खिलाफ प्रेरणा का एक चित्रण बन गया तथा इसने गहरी देशभक्ति की भावनाओं को जन्म दिया। स्वदेशी आन्दोलन जैसी कई पहलों ने इसे स्वतन्त्रता आन्दोलन के केन्द्रीय नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। अंग्रेज

सरकार के विरोध में होने वाली बैठकों और सभाओं के दौरान 'वन्दे मातरम्' का पाठ किया जाता था। अरविंदो घोष जैसे दार्शनिकों का मानना था कि 'वन्दे मातरम्' का आशीर्वाद भारत के स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए दिव्य शक्ति है।

1905 में 'वन्दे मातरम्' बंगाल के विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कर्नाटक के गुलबर्गा में 'वन्दे मातरम्' आन्दोलन को हैदराबाद-कर्नाटक स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण कहा जाता है।

24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने 'जन गण मन' को राष्ट्र गान और 'वन्दे मातरम्' को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया।

दिनांक 07 नवम्बर, 2025 को इस गीत के 150 वर्ष पूरे हुए और इसे एक वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव के साथ मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दूरदर्शन पर प्रातः 10 बजे किया गया जिसके बाद पूरे देश में एक साथ 'वन्दे मातरम्' का सामूहिक गायन हुआ। यह स्मरणोत्सव भारत की राष्ट्रीय पहचान के विकास में इस गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है तथा आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को पुष्ट करता है।"

चर्चा मा0 मुख्य मंत्री के भाषण से आरम्भ हुई, इसी मध्य अपराह्न 02 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं। मा0 मुख्य मन्त्री के भाषण के मध्य ही अपराह्न 03:13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने चर्चा में बोलने के लिए 05 से 07 मिनट का समय निर्धारित किया।

निम्नलिखित सदस्यगण एवं मंत्रिगण ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री शिवपाल सिंह यादव,

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य),

नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना') के भाषण के मध्य अपराह्न 04 बजकर 04 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यगण/मंत्रिगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

नेता जनसत्ता दल (लोकतान्त्रिक) (श्री रघुराज प्रताप सिंह),

डॉ0 संग्राम यादव,

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक),

श्री आलमबदी,

नेता बहुजन समाज पार्टी (श्री उमाशंकर सिंह),

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप),

डॉ0 रागिनी के भाषण के मध्य सायं 05 बजकर 09 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यगण/मंत्रिगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (श्री संजीव कुमार गोंड),

श्री मनोज कुमार पाण्डेय,

श्री अतुल प्रधान,

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल),

श्री प्रसन्न कुमार,

मत्स्य मंत्री (डा0 संजय निषाद),

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने चर्चा में प्रतिभाग के लिए 07-07 मिनट का समय निर्धारित किया।

श्रीमती पूजा के भाषण के मध्य 05 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती अनुपमा जायसवाल पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री अमिताभ बाजपेई

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय),

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (श्रीमती प्रतिभा शुक्ला),

श्री कमाल अख्तर,

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री बृजेश) के भाषण के मध्य महात्मा गांधी जी पर की गई टिप्पणी पर विपक्ष के सदस्य विरोध प्रकट करते हुए अपने आसन पर खड़े होकर नारे लगाने लगे, जिस पर नेता विरोधी दल ने इसे कार्यवाही से निकलवाने का अनुरोध किया। इस पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि दिखवा लिया जायेगा।

निम्नलिखित सदस्यगण/मंत्रिगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा),

श्री पंकज कुमार मलिक,

श्री राजेश पाल सिंह उर्फ राजेश चौधरी,

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय),

श्री जय कुमार सिंह जैकी,

श्री धीरेन्द्र सिंह,

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी,

श्री पंकज पटेल,

श्रीमती सरोज सोनकर के भाषण के मध्य सायं 07 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती पिंकी सिंह,

श्रीमती अनुपमा जायसवाल एवं

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)।

चर्चा के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने राष्ट्रगीत भी वन्दे मातरम् पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के शब्दों को समझते हुए हम आनन्द और मस्ती के साथ इसका गायन करें और यह प्रण लें कि हमारा समर्पण उस देश और माटी के लिए होगा, जिसने हमें जन्म दिया है।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

तदुपरान्त संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने अनुरोध किया कि जो मा0 सदस्य उक्त चर्चा में प्रतिभाग नहीं कर सके हैं, उनका भाषण लिखित में ले लिया जाए एवं कार्यवाही का अंश बन जाए। इस पर श्री अध्यक्ष ने सहमति व्यक्त की।

आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 104 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री मोहित सोनकर उर्फ ''राहुल बच्चा''	जनपद कानपुर नगर, बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
		एवं ककवन क्षेत्र में नाली एवं सड़क निर्माण कार्यों में हो रही लापरवाही की जाँच कराकर कार्रवाई के विषय में।
2	श्री विनोद चतुर्वेदी	नगर पालिका परिषद्, कालपी, जनपद जालौन के आई0एन0डी0 वर्क विद् एस0टी0पी0 एण्ड को ट्रीटमेण्ट के स्वीकृत प्रस्ताव पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद भी विलम्ब हेतु जाँच कराकर कार्रवाई के विषय में।
3	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद मुजफ्फरनगर में हो रहे प्रदूषण की जाँच एवं रोक-थाम के सम्बन्ध में।
4	श्री कमाल अख्तर	जनपद मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में मुरादाबाद से बिजनौर होकर हरिद्वार जाने वाले मार्ग पर नगर पंचायत कांठ स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या-432बी पर उपरिगामी सेतु के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	डॉ0 रागिनी	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा कटाहितखास में अमरनाथ के घर से पावर प्लाण्ट गेट तक खराब सम्पर्क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
6	श्री आशु मलिक	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र देहात के अन्तर्गत लो0नि0वि0 की विभिन्न ग्रामों की लम्बित एवं अपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	डॉ0 अमित सिंह चौहान	विधान सभा क्षेत्र बीकापुर (अयोध्या) में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अयोध्या द्वारा निर्माणाधीन सर्विस रोड पर मानक विपरीत कार्य कराने के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।
2	श्री अभय सिंह	परशुराम वर्मा स्मारक महिला महाविद्यालय, मेमो0 कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एजुकेशनल पब्लिक स्कूल/डीएलएड कॉलेज की जाँच पूर्ण कराकर कार्रवाई के विषय में।

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
3	श्री जय कुमार सिंह जैकी	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी, ब्लॉक तेलियानी के अन्तर्गत ग्राम नेवलापुर में स्पोर्ट कॉलेज में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद सोफीपुर में निर्माणाधीन 132 के0वी0 क्षमता के बिजली घर का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	रायबरेली-लखनऊ मार्ग के बगल से सरकारी खड़न्जा मार्ग पर हुये अवैध कब्जे हटाये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री कमाल अख्तर	जनपद लखनऊ के केजीएमयू के ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच कराकर कार्रवाई के विषय में।
2	श्री मुकेश चौधरी	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के शाकुम्भरी शुगर मिल टोडरपुर के पेराई सत्र, 2024-25 का गन्ना किसानों के भुगतान के सम्बन्ध में।
3	डा0 राजेश्वर सिंह	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की वरूण विहार योजना के प्रभावित 12 ग्रामों के किसानों को जनपद की अन्य योजनाओं के समान मुआवजा व अन्य सुविधाएँ सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में।
4	श्रीमती केतकी सिंह	आयुष्मान कार्ड धारकों के चिकित्सा सहायता में हो रही विसंगति की जाँच के सम्बन्ध में।
5	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	मदवार, तुरेहा, कश्यप आदि 17 जातियों को अनुसूचित जातियों में जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री विनोद सरोज	श्रीमती साबिरा खातून पत्नी मुजीद अहमद खाँ, निवासी चौक कचेहरी रोड सदर, प्रतापगढ़ के क्रय किये गये भू-खण्डों की चौहद्दियों की स्थलीय स्थिति एवं स्वीकृत मानचित्रों में साम्यता न होने के कारण

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
		उच्च स्तर से कार्रवाई के आदेश के बाद भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।
7	श्री जगदीश नारायण	लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों द्वारा अत्यन्त न्यून टेण्डर लेने तथा मानक अनुसार कार्य न करने के सम्बन्ध में।
8	श्री दुर्गा प्रसाद यादव एवं श्री अखिलेश	जनपद आजमगढ़ में शीत ऋतु में रात्रि के स्थान पर दिन में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री अरमान खान	जनपद लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय, राजाजीपुरम में बर्न यूनिट का संचालन कराने के साथ ही लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के टी0बी0 अस्पताल ठाकुरगंज में चिकित्सा सुविधाएँ बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री देवेन्द्र कुमार निम	विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन, जनपद सहारनपुर में आर0सी0सी0 डेवलपर्स कम्पनी द्वारा किये गये प्रदूषण की जाँच कराकर नियमानुसार कार्रवाई कराने के सम्बन्ध में।
11	श्री अखिलेश	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर एवं मेंहनगर में स्थित शारदा सहायक खण्ड-32 तथा शारदा सहायक खण्ड-23 की नहरों में पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्रीमती पूजा	जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र के लोनी नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
13	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट के ट्रेजरी विभाग में हुये भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।
14	श्रीमती ऊषा मौर्य उर्फ अनीला मौर्या	जनपद फतेहपुर हेतु पूर्वांचल विकास निधि से प्रस्तावित विकास कार्यों को यू0पी0एस0आई0डी0सी0, निर्माण खण्ड-2, फतेहपुर से कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों सहित सम्पूर्ण वन्दे मातरम् सामूहिक गान किया गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन रात्रि 08 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

———————

स्वीकृत,

सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 161 विधान सभा (257)–24–12–2025–50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।